उत्तराखण्ड शासन
वित्त (सा0नि0–वे0आ0)अनुभाग–7
संख्या–222/ XXVII(7)02/2016
देहरादून: दिनांक: 24 सितम्बर, 2021

कार्यालय ज्ञाप

विषय: राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में पुनरीक्षित नहीं की गयी है, को महंगाई राहत की स्वीकृति।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के ऐसे पेंशनर, जिनकी पेंशन सातवें वेतनमान आयोग की संस्तुतियों के कम में पुनरीक्षित नहीं की गयी है, को वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–382 /XXVII(7)02/2016 दिनांक 05 नवम्बर, 2019 द्वारा स्वीकृत महंगाई राहत की दरों को अतिकमित करते हुए दिनांक 01–07–2021 से 164 प्रतिशत के स्थान पर 189 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. दिनांक 01 जनवरी, 2020 से दिनांक 30 जून, 2021 तक की अवधि में मंहगाई राहत की दर मूल पेंशन/मूल पारिवारिक पेंशन की 164 प्रतिशत ही रहेगी।

3. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों पर स्वत: लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4. यह आदेश विद्यालयी शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

5. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए–1–252 /दस/10(3)–81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अत: स्वीकृत मंहगाई राहत का भुगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप के अधीन कर दिया जाय।

6. मंहगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इस सम्बन्ध में इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

/
(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव।

Government of Uttarakhand
Finance (G.R-P.C.) Section-7
No- 222/XXVII(7)02/2016
Dehradun: Dated 24 September, 2021

Office Memorandum

Subject: **Grant of Dearness Relief of such civil/family pensioners of the State Government whose pension is not revised according with the recommendation of the 7th pay Commissions.**

The Undersigned is directed to say that the Governor is pleased to revise the Dearness Relief rates w.e.f. 01-07-2021 @ 189% instead of 164% superseding the earlier rates as is sanctioned vide this Office Memorandum No. 382/XXVII(7)02/2016 Dated 05 November, 2019 for those pensioners whose pension is not revised according with the recommendation of the 7th pay Commissions .

2. For the period from January 01, 2020 to June 30, 2021, the rate of dearness relief will remain 164 percent of the basic pension/basic family pension.

3. These orders will not be applicable to the judges of High Court, Chairman and Members of Uttarakhand Public Service Commission, Civil/Family Pensioners of local bodies and Public Undertaking Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective department.

4. These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State under the Education/Technical Education Department whose Pension/Family Pension is at par with the pensioners of the State Government.

5. As per orders issued in O.M. No-A-1-252/X/10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M.

6. Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier government orders shall remain applicable as usual.

/
(Manisha Panwar)
Additional Chief Secretary.

संख्या-222(1)/XXVII(7)02/2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियॉ इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इस की प्रतियॉ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग/शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
8. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 50 प्रतियॉ मुद्रित करा कर वित्त अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।

आज्ञा से,

(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

No 222(1)/ XXVII(7)02/2016, the dated.

Copy forwarded to following for information and necessary action.

1- Accountant General Uttrakhand, Mahalekhakar Bhawan, Kaulagarh, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.

2- All Additional Chief Secretaryies / Principal Secretaries/Secretaries, Govt. of Uttarakhand.

3- Principal Secretary/Secretary, Public Industry Development Department/Urban Development, Govt. of Uttarakhand with the request that the admisibility of dearness relief may be permitted itself in the view of financial status of the bodies/sector and there is no need of finance Department Consent.

4- All Commissioner/District Magistrate, Uttarakhand.

5- All Heads of Departments /Offices, Uttarakhand.

6- Director, Treasury, Pension and Hukdari, Utatrakhand .

7- Director, Departmantal Accounts, 23 Laxmi Road, Dalanwala, Dehradun Uttarakhand .

8- All Chief/Senior Treasury Officers/ Treasury Officers, Uttarakhand.

9- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 50 copies of this G.O. be got printed and sent to the Finance Section-7, Govt. of Uttarakhand.

10- Director, NIC Dehradun.

By Order,

(Ganga Prasad)
Additional Secretary.